हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–2021

(1) संगठन, कार्य एवं कर्तव्य का ब्यौरा :– राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग का एक अधीनस्थ विभाग है। यह विभाग उन स्थानीय निधियों की आय/व्यय का अंकेक्षण कार्य करता है जो साधारणतयः राज्य की संचित निधि का हिस्सा नहीं है। इस विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के छः विश्वविद्यालयों, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, विपणन बोर्ड तथा चार प्रमुख विपणन समीतियों के लेखों का अंकेक्षण कार्य पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत तथा अन्य स्थानीय निधि संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य उतरांकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत किया जाता है। यह विभाग निम्नलिखित संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी हैः–

कम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन
4	सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मंडी
5	अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मंडी
6	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर
7	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
8	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड
9	विपणन समितियां
10	राजकीय शिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)
11	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि
12	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
13	नगर निगम शिमला व नगर निगम धर्मशाला
14	नगर परिषदें/नगर पंचायतें
15	हि0 प्र0 बहुतकनीकी संस्थान एवं औ0 प्रशिक्षण संस्थान (विद्यार्थी निधि)
16	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड
17	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण
18	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड
19	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी
20	हि0प्र0 हौम्योपैथी परिषद
21	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी
22	मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष
23	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष
24	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैन्टीन
25	मेला एवं उत्सव
26	हिमाचल प्रदश पशु चिकित्सा परिषद
27	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड
28	रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झण्डा रोहण दिवस निधि

29	राज्य सैनिक बोर्ड़ विशेष निधि आर.आर. सैनिक विश्राम निधि
30	जिला खेल ,संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि
31	ई–गर्वनेन्स
32	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला
33	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली
34	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला
35	ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषदें
36	हि0प्र0 सरकार द्वारा सौंपा गया विशेष अंकेक्षण

नोटः– हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य सम्बन्धित संस्था के अधिनियम/नियमों इत्यादि के अधीन किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट– (अ) में दिया गया है।

(2). अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :– यह विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है।

निदेशक, *राज्य लेखा परीक्षा विभाग* :– विशेष सचिव (वित्त), राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 के निदेशक एवं परीक्षक का कार्यभार संभालते है। वह विभाग के विभागाध्यक्ष भी है।

राज्य लेखा परीक्षा विभाग के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :–

अतिरिक्त निदेशक :– वह विभाग के कार्यालय का मुखिया होने के साथ–साथ विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियन्त्रण अधिकारी भी है।

उप निदेशक–I :– वह तकनीकी शाखा के प्रभारी हैं। वह छः विश्वविद्यालयों व हिमुडा, शहरी निकायों एवं जिला शिमला, सोलन, किन्नौर और सिरमौर के शैक्षणिक संस्थानों व पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए भी उतरदायी है।

उप निदेशक–II :– वह हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, विपणन बोर्ड शिमला, सभी विपणन समितियों, मन्दिर न्यासों, ई–गर्वनेन्स, तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला एवं जिला चम्बा, ऊना, और कांगडा की शैक्षणिक व पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

सहायक निदेशक :– वह विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं एवं संस्थापना व लेखा शाखा के प्रभारी है। वह सरकारी पाठशालाओं/महाविद्यालयों, औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों/बहुतकनीकी संस्थानों एवं जिला कुल्लू, मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पिति की शैक्षणिक व पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य लघु विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर आबंटित अन्य कार्य के लिए भी उतरदायी है।

अनुभाग अधिकारी (स्थापना) :– वह मुख्यालय में संस्थापना तथा लेखा अनुभाग का कार्यभार देखते है।

अनुभाग अधिकारी (तकनीकी शाखा) :– वह मुख्यालय में तकनीकी अनुभाग का कार्यभार देखते है।

कनिष्ठ लेखा परीक्षक :– वे मुख्य कार्यालय में लेखा, स्थापना एवं तकनीकी अनुभाग में सम्बन्धित सहायक का कार्य करते है।

<u>लिपिक</u> :— वे प्रारूपों को टंकित करने तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों का मिलान करना व प्राप्ति एवं प्रेषण कार्य करते है।

<u>निवासी अंकेक्षण योजनाओं के कार्यरत अधिकारी :—</u> संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक और अनुभाग अधिकारी विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा बोर्ड/विपणन बोर्ड, विपणन समीतियों में निवासी अंकेक्षण योजनाओं के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करते हैं तथा वहां कार्यरत अपने अधीनस्थ स्टाफ के कार्य का पर्यवेक्षण करते है।

<u>निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक</u> :— निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक निवासी अंकेक्षण योजनाओं में पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण कार्य करते है।

<u>वृतों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :—</u> राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं के उतरांकेक्षण कार्य को अंकेक्षण वृतों में कार्यरत सहायक नियन्त्रक/अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ लेखा परीक्षक करते हैं। अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा समय समय पर इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण किया जाता है।

(3) <u>निर्णय प्रकिया, पर्यर्वेक्षण तथा उतरदायित्व</u> :—

विभाग के मुख्यालय में प्राप्त समस्त पत्राचार को सम्बन्धित सहायक (कनिष्ठ लेखा परीक्षक)/लिपिक अनुभाग अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष सम्बन्धित नस्ति में प्रस्तुत करते हैं और मामलों का निपटारा अतिरिक्त निदेशक, निदेशक या अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हि0प्र0 सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के स्तर पर किया जाता है।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण से सम्बन्धित मामलों मे प्रारम्भिक कार्यवाही करके मामलों को अनुभाग अधिकारी/सहायक नियन्त्रक, उप नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष जांच एवं निपटारे हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अंकेक्षण वृतों में तैनात अंकेक्षण दलों के प्रभारियो को मामलों की प्रकृति के अनुसार अंकेक्षण कार्यो के निष्पादन हेतु मौके पर ही निर्णय लेना होता है। यद्यपि निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत स्टाफ एवं वृतों में तैनात अंकेक्षण दल पूर्ण रूप से विभाग के मुख्य कार्यालय के नियन्त्रण एवं निरीक्षण में कार्य करते है।

(4) <u>कार्य का निपटारा करने हेतु तय किए गए मानक :—</u> अंकेक्षण स्टाफ को पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य निपटाने के लिए विभाग द्वारा तय मानक जारी किए गये हैं। विभाग द्वारा निम्नलिखित तय मानक निर्धारित किए गए है:—

1. अंकेक्षण कार्य करने हेतु समय आबंटन
2. अंकेक्षण शुल्क की दरें
3. विभिन्न संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण के लिए जांच की प्रमात्रा।
4. अंकेक्षण में विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों के लिए मापदण्ड।

5. विभाग अपने अंकेक्षण क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण का कार्य उनके अधिनियम/नियम पुस्तक/विधेयक/परिनियमों/सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों एवं सरकार/संस्थाओं द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत करता है।

(5) **विभाग के नियन्त्रण में नियम, विनियम, दिशानिर्देश नियम पुस्तकें और अभिलेख** :– विभाग अपने दैनिक कार्य को निपटाने के लिए सरकारी नियमों, दिशानिर्देशों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है।

(6) विभाग के दस्तावेजों का वर्गीकरण :–

(1) कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी अभिलेख।

(2) विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन जिनका अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है।

(3) हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन।

(4) विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से देय अंकेक्षण शुल्क की मांग एवं वसूली का अभिलेख।

(5) विभाग के अन्य प्रशासनिक एवं लेखांकन अभिलेख।

(7) **किसी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श अथवा जनता के सदस्यों के आवेदन नीति अथवा उसके प्रशासन की रचना के विद्यमान हो:–** विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन व सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए विशेष अंकेक्षण कार्य के लिए उतरदायी है तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रखता है।

(8) **बोर्ड, परिषद समितियां एवं अन्य निकायों जिनका गठन दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा परामर्श एवं उन बोर्ड, परिषद, समितियों तथा अन्य निकायों जो सार्वजनिक हो या जिनकी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण के लिए हो, का विवरण** :– सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई बोर्ड, काउँसिल समीति या दो से अधिक लोगों द्वारा संस्था नहीं बनाई गई है।

(9) **अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका:–** राज्य लेखा परीक्षा विभाग की निर्देशिका **परिशिष्ट–ब** में संलग्न है।

(10). **विभाग के प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक मानदेय:–** हि०प्र० सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही इस विभाग द्वारा लागू किए गए है। वेतनमान से ज्यादा या अलग कोई भी मानदेय लागू नही किया गया है तथापि विभाग में विभिन्न पदो के पे बैण्ड तथा ग्रेड पे से सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट–स** में दिया गया है। विभाग में लगाए गए आर्टीकल सहायकों को वृतों में अंकेक्षण कार्य करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार ₹800/– प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय दिया जाता है।

(11) **विभाग की विभिन्न एजेंन्सी को आबंटित बजट में इसकी सभी योजनाओं अनुमानित व्यय और उसके संवितरण का प्रतिवेदन:–** विभाग को अपनी स्थापना व सम्बन्धित व्यय करने के लिए बजट आबंटित किया जाता है। विभाग के नियन्त्रक/अधीन कोई भी एजेन्सी कार्यशील नही है जिसे विभाग या सरकार द्वारा बजट का आबंटन किया जाता है।

(12) **पावती में छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान करने का विवरण:–** इस विभाग द्वारा कोई भी छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।

(13) अनुदान कार्यक्रमों जिसमें लाभार्थियों को अनुदान आबंटित किए गए के निर्धारित तरीके से निष्पादनः— सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई अनुदान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

(14) सूचना जिसका विस्तृत विवरण मौजूद है या रखा गया है, को इलैक्ट्रोनिक फार्म में तबदील करके कम करना :— वर्तमान में विभाग में हस्तलिखित व टंकण पद्धति द्वारा अभिलेख रखा जाता है तथा धीरे-2 अभिलेख को इलैक्टोनिक फार्म में तबदील करने हेतु सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

(15) सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित जनता के लिए सुविधा पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष सहित यदि जनता के उपयोग के लिए बनाई गई होः— सभी नागरिक विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तथापि इस विभाग में जनता की सुविधा के लिए कोई पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष नहीं है ।

(16) राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 में अपील प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरणः—

मुख्यालय कार्यालय :—

क0सं0	जन सूचना अधिकारी / सहायक जन सूचना अधिकारी, पीआईओ / एपीआईओ	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय दूरभाष सं0
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, अपील प्राधिकारी	राज्य लेखा परीक्षा विभाग	0177-2624899
2	श्री चन्द्रेश हाण्डा, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	—यथोपरि	0177-2620046
3	श्री हेम राज भारद्वाज, संयुक्त निदेशक, सहायक जन सूचना अधिकारी	—यथोपरि	0177-2620881

राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 की निवासी अंकेक्षण योजनाओं में जन सूचना अधिकारी

क0सं0	निवासी अंकेक्षण योजना का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं0
1	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला	संयुक्त नियनत्रक (ले0प0)	0177-2830892
2	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0 एस0परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन.	उप नियन्त्रक (ले0प0)	01792-252171
3	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	01894-230354
4	निवासी अंकेक्षण योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मण्डी	अतिरिक्त निदेशक	94186-40305
5	निवासी अंकेक्षण योजना, अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मण्डी	उप नियन्त्रक (ले0प0)	94182-28074
6	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 तकनिकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर	उप नियन्त्रक (ले0प0)	94180-65304
7	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	उप नियन्त्रक (ले0प0)	01892-229333
8	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला-2	सहायक नियन्त्रक (ले0प0)	0177-2621316
6	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला-12.	अनुभाग अधिकारी (ले0प0)	0177-2841167

7	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	अनुभाग अधिकारी (ले0प0)	01792–230459
8	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी	अनुभाग अधिकारी (ले0प0)	01907–265592
9.	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू	अनुभाग अधिकारी (ले0प0)	01902–222208

महत्वपूर्ण सम्पर्क दूरभाष नं0

क0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं0	आवास दूरभाष सं0
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक	0177–2624899	94183–81433
2	श्री चन्द्रेश हाण्डा, अतिरिक्त निदेशक	0177–2620046	94186–40305

(17) दूसरी अन्य सूचनाऐं जैसे कि अधिनियम में अधिसूचित की गई हैं । "शून्य"

विभाग की दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाऐं :–

1. *अंकेक्षण की स्थिति :*

प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2020–21 के दौरान विभाग द्वारा कुल 204 संस्थाओं का अंकेक्षण किया गया है।

2. कर्मचारी वर्ग की स्थिति :

दिनॉक 31–03–2021 को विभाग में सृजित कुल 148 पदों के विरूद्व 102 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे तथा 46 पद रिक्त थे ।

3. *आर्टिकल सहायकों की एम्पेनलमैंट :*

सरकार द्वारा आर्टिकल सहायकों की एम्पैनलमैंट करने की नीति बनाई गई है जिसके लिए वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले स्नातक/स्नातकोतर उम्मीदवारों की नियत कार्य (assignment) के आधार पर तैनाती की गई है।

4. *आय व्यय की स्थिति :*

(क.) प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2020–21 में विभाग की आय–व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :–

वर्ष	विभाग को वर्ष के प्रारम्भ मे आवंटित बजट	वास्तविक व्यय राशि	अंकेक्षण शुल्क स्वरूप अर्जित राजस्व प्राप्ति	व्यय के विरूद्ध अर्जित आय का प्रतिशत
2020–21	10,78,02,000	7,46,98,504	1,91,51,721	25.64

(ख.) प्रतिवेदन अवधि वर्ष 2020–21 में विभाग को पैन्शनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों हेतु आवंटित बजट एवं वास्तविक व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :–

वर्ष	आवंटित बजट	अतिरिक्तता	कुल आवंटित बजट	वास्तविक व्यय
2020–21	1,66,000	11,12,000	12,78,000	12,71,056

5. वर्ष 2020–2021 में पाई गई गम्भीर अनियमितताएं :–

I शहरी स्थानीय निकाय

1. 08 नगर परिषदों (नगरोटा बगवाँ, घुमारवीं, काँगडा, पालमपुर, मनाली, रोहडू, संतोषगड़ तथा जोगिन्द्र नगर) व 06 नगर पंचायतों (रिवालसर, नदौन, करसोग, सरकाघाट, शाहतलाइ तथा गगरेट) द्वारा सहायता अनुदान ₹ 4287.23 लाख का उपयोग न करना।
2. 08 नगर परिषदों (नगरोटा बगवाँ, घुमारवीं, काँगडा, पालमपुर, मनाली, रोहडू, संतोषगड़ तथा जोगिन्द्र नगर) व 05 नगर पंचायतों (रिवालसर, नदौन, सरकाघाट, शाहतलाइ तथा गगरेट द्वारा गृह कर/चुल्हा कर ₹ 854.91 लाख की वसूली न करना।
3. 08 नगर परिषदों (नगरोटा बगवाँ, घुमारवीं, काँगडा, पालमपुर, मनाली, रोहडू, संतोषगड़ तथा जोगिन्द्र नगर) व 06 नगर पंचायतों (रिवालसर, नदौन, करसोग, सरकाघाट, शाहतलाइ तथा गगरेट) द्वारा दुकान/स्टॉल/प्लॉट/रैहन बसेरा तथा सिनेमा हॉल के किराये ₹ 245.85 लाख की वसूली न करना।
4. 05 नगर परिषदों (नगरोटा बगवाँ, घुमारवीं, काँगडा, रोहडू तथा संतोषगड़) व नगर पंचायत शाहतलाइ द्वारा संस्थापना पर ₹ 611.16 लाख का स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना।
5. 05 नगर परिषदों (घुमारवीं, पालमपुर, मनाली, रोहडू तथा संतोषगड़) व नगर पंचायत शाहतलाइ द्वारा वेतन एवं भत्तों पर ₹ 26.87 लाख का अधिक/अनियमित व्यय करना।
6. 07 नगर परिषदों (नगरोटा बगवाँ, घुमारवीं, काँगडा, पालमपुर, मनाली, रोहडू तथा जोगिन्द्र नगर) व 04 नगर पंचायतों (नदौन, सरकाघाट, शाहतलाइ तथा गगरेट) द्वारा मोबाईल टावर के स्थापना व नवीनीकरण शुल्क ₹ 23.10 लाख की वसूली न करना।
7. 02 नगर परिषदों (रोहडू तथा संतोषगड़) व 02 नगर पंचायतों (नदौन तथा गगरेट) द्वारा ₹ 1183.32 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
8. 05 नगर परिषदों (नगरोटा बगवाँ, पालमपुर, रोहडू, संतोषगड़ तथा जोगिन्द्र नगर) व नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा घर घर से कूडा कचरा एकत्रित करने हेतु देय बकाया शुल्क ₹ 134.42 लाख की वसूली न करना।
9. 05 नगर परिषदों (नगरोटा बगवाँ, पालमपुर, रोहडू, संतोषगड़ तथा जोगिन्द्र नगर) व 03 नगर पंचायतों (सरकाघाट, नदौन तथा करसोग) द्वारा संविदाकार को ₹ 19.68 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना ।
10. 04 नगर परिषदों (कांगडा, मनाली, रोहडू तथा संतोषगड़) व नगर पंचायत गगरेट द्वारा नियमानुसार बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए आपूर्तिकर्ता को ₹ 117.05 लाख का अनियमित भुगतान करना।

11. 03 नगर परिषदों (घुमारवीं, पालमपुर तथा संतोषगढ़) व नगर पंचायत सरकाघाट द्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती दावों में कर्मचारियों को ₹ 1.59 लाख का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करना।

12. 05 नगर परिषदों (कांगडा, पालमपुर, मनाली, रोहड़ू तथा संतोषगड़) व नगर पंचायत रिवालसर द्वारा निर्माण कार्यो से काटे गए लेबर सेस तथा वस्तु एंव सेवाकर ₹ 25.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना।

II हिमाचल प्रदेश शहरी आवास एवं विकास प्राधिकरण (हिमुडा)

1. हिमुडा के 4 निर्माण मण्डलों (धर्मशाला, मण्डी, परवाणू तथा नाहन) तथा 2 विद्युत मण्डलों (धर्मशाला तथा शिमला) द्वारा ₹ 235.93 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करना।
2. हिमुडा के 4 निर्माण मण्डलों (धर्मशाला, मण्डी, परवाणू तथा नाहन) तथा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा संविदाकारों को ₹ 113.13 लाख का अनियमित भुगतान करना।
3. हिमुडा के 2 विद्युत मण्डलों (शिमला व धर्मशाला) द्वारा वेतन के रूप में कर्मचारियों को ₹ 495.81 लाख का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करना।
4. हिमुडा के 2 विद्युत मण्डलों (शिमला व धर्मशाला) द्वारा संविदाकारों से संरक्षित अग्रिमों ₹ 18.62 लाख की वसूली न करना।

III हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला

1. अस्थाई अग्रिमों ₹ 5867.11 लाख का समायोजन न करना ।
2. बैंक में जमा ड्राफ्ट/चैकों के विरूद्व ₹ 15.19 लाख कम जमा (Credit) प्रदान किया जाना ।
3. सावधि जमा योजना में निवेशित राशि की परिपक्वता पर बैंक द्वारा स्त्रोत पर ₹ 12.99 लाख आयकर की अनियमित कटौती करना।
4. उच्चतम ब्याज दर पर ₹ 19.50 लाख निवेशित न करने के कारण बोर्ड को हुई वित्तीय हानि ।
5. वर्ष की कुल प्राप्तियों की तुलना में ₹ 2378.19 लाख का व्यय अधिक किया जाना ।
6. परीक्षा संचालन शीर्ष के अर्न्तगत प्राप्त आय की तुलना में ₹ 293.05 लाख का व्यय अधिक किया जाना ।
7. पुस्तकों के मुद्रण पर आय की अपेक्षा ₹ 1073.35 लाख का अधिक व्यय किया जाना ।
8. वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार की अनुमति के बिना सामान्य निधि से पैंशन/ग्रेच्यूटी निधि ₹ 1231.80 लाख को हस्तान्तरित करना ।
9. सामान्य भविष्य निधि बैंक खातों में जमा अन्तशेष खाताधारकों के खातों में जमा अन्तशेष की तुलना ₹ 598.44 लाख कम पाया जाना ।
10. देय बिलम्ब शुल्क ₹ 22.47 की वसूली न करना ।
11. प्रकाशित पुस्तकों के मुद्रण पर मुद्रकों को ₹ 332.41 का अनुचित लाभ देने के कारण वित्तीय हानि ।

IV कृषि विपणन समितियाँ

1. 6 विपणन समितियों (ढल्ली, बिलासपुर, कुल्लू, कांगडा, चम्बा तथा मण्डी) द्वारा विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क ₹ 150.97 लाख की वसूली न करना।
2. 7 विपणन समितियों (ढल्ली, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, कांगडा, चम्बा तथा मण्डी) द्वारा अदत्त दुकान किराये ₹ 279.11 लाख की वसूली न करना।
3. 3 विपणन समितियों (ढल्ली, बिलासपुर तथा मण्डी) द्वारा ₹ 25.36 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करना।
4. 5 विपणन समितियों (ढल्ली, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगडा तथा मण्डी) द्वारा ₹ 587.15 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।

V मन्दिर न्यास

1. 5 मन्दिर न्यासों (श्री तारादेवी जी शिमला, हनुमान मन्दिर जाखू शिमला, श्री मणीमहेश जी चम्बा, श्री शूलनी देवी जी सोलन व शिव मन्दिर बैजनाथ कांगडा) द्वारा स्वीकृत बजट से ₹ 507.50 लाख का अधिक व्यय करना।
2. 3 मन्दिर न्यासों (श्री तारादेवी जी शिमला, हनुमान मन्दिर जाखू शिमला व श्री मणीमहेश जी चम्बा) द्वारा ₹ 18.80 लाख के स्टाक का स्टाक प्रविष्टी न करना।
3. 3 मन्दिर न्यासों (श्री तारादेवी जी शिमला, हनुमान मन्दिर जाखू शिमला व श्री मणीमहेश जी चम्बा) द्वारा ₹ 155.41 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।

VI पंचायत समितियाँ

1. पंचायत समिती सदर बिलासपुर, जिला बिलासपुर द्वारा सहायता अनुदान ₹ 81.40 लाख का उपयोग न करना।
2. पंचायत समिती सदर बिलासपुर, जिला बिलासपुर द्वारा अदत्त किराये ₹ 1.45 लाख की वसूली न करना।
3. पंचायत समिती सदर बिलासपुर, जिला बिलासपुर द्वारा नियमानुसार बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए ₹ 1.53 लाख का अनियमित व्यय करना।

परिशिष्ट–अ

वैधानिक प्रावधान के अर्न्तगत राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं का विवरण।

क्रम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम	पत्र संख्या एवं अधिसूचनाएं
1	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला अधिनियम 1970 की धारा 29 {1} के अधीन
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के विधान (Statutes) के अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विधान (Statutes) की धारा 13.2 के अधीन
4	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड़ अधिनियम 1968
5	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48{2} के अधीन
6	विपणन समितियां	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय अधिनियम, 2005 की धारा 48{2} के प्रावधानों के अधीन।
7	राजकीय शिक्षण संस्थान {विद्यार्थी निधि}	हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 2012 के नियम 4.9 {बी} के अधीन
8	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि	हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1984 धारा 23{2}सी {ii} अधिसूचना संख्या भाषा–ए{डी}–3/85–2 दिनांक 17–1–1989 एफ/बी{पी–173}
9	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 2004{ 2004 के अधिनियम संख्या –9} की धारा 28 की उप धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या एच–एसजी–4{डी}1/92–II दिनांक 13–9–2004 के अधीन
10	नगर निगम शिमला/धर्मशाला	नगर नियम अधिनियम 1994 के संशोधित अधिनियम 2007 की सं0 19 की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन{एल0ए0}खण्ड–4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
11	नगर परिषदे/नगर पंचायतें	नगर नियम अधिनियम 1994 की उप धारा 1 व सैक्शन 255 की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन{एल0ए0}खण्ड–4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रशिक्षण संस्थान की विद्यार्थी निधियां	अधिसूचना सं0 एसटीवी{आईटी}एफ{5}–5/85 दिनांक 16.10.1986 के नियम 7 के अधीन

13	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 20 के अधीन
14	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश वैधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम 1996 विनियम 8{5} के अधीन
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2002 के सेक्शन 14{2} के अन्तर्गत ।
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी	जी.आई.ए. नियम 5{3} संख्या फिश–एफ–{5}–1 /82–खण्ड–1 दिनांक 29–3–86 द्वारा अधिसूचित
17	हि0प्र0 हौम्योपैथी परिषद	हि0प्र0 होम्योपैथी प्रैक्टीशनर नियम 1983 के नियम संख्या 26 के अन्तर्गत
18	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	भाषा एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एलसीए{9} –2/84, दिनांक 10–12–1984 के अधीन
19	मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष	कोष के निर्देश संख्या 8 के अधीन
20	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष	समान्य प्रशासन विभाग–ई अनुभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या –जीएडी–ई{सी}8/99 दिनांक 2–11–99
21	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैन्टीन	पत्र संख्याः पीईआर(एसए–आई)एफ(6)–1/84, दिनांक 18–3–88, 8–5–1998, 16–10–99
22	मेला उत्सव लेखे	संख्या भाषा–सी{13}–2/92–लूज,दिनांक 11–5––99 एफ सी कम सैक्रेटरी एलएसी
23	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद जी आई ए नियम अधिसूचना संख्या –ए एच वाई –ए{5}5/86–दिनांक 3–1–94
24	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड	पत्र संख्याः एच एवं एफ.डब्लयू{सी}{1}–21/76 दिनांक 22–6–1977
25	हि0प्र0 रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि, झण्डा रोहण दिवस निधि	निधि के प्रयोग के लिए नियम अधिसूचना संख्या 11–58/66/जीएडी 'ए' दिनांक 19–10––1977 के नियम 9 के अधीन
26	राज्य सैनिक बोर्ड विशेष निधि आर. आर. सैनिक विश्राम निधि	सैन्य सुरक्षा राहत निधि/राष्ट्रीय सुरक्षा राहत कोष के निर्देश संख्या 9 के अधीन
27	सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि, जिला खेल, संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि	पत्र संख्याः फिन सी 15–25/77 (डब्लयू एण्ड एम) दिनांक 29–12–1978
28	ई–गर्वनेन्स	परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टीपीटी–एफ{1}2/2000–ई गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत

29	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला	निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल के पत्र संख्या 4–31/83–वाईएसएस–4388 दिनांक 9.07.2003 के अन्तर्गत
30	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली	सामान्य प्रशासन विभाग, हि0प्र0 की अधिसूचना संख्या:जीएडी–3–सी{4}13/76 दिनांक 18.03.1978 के अन्तर्गत
31	हिम कॉपस (HIMCOPS) शिमला	हिमकॉप की गवर्निंग बाडी की दिनांक 11.03.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के कम में निदेशक,पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं, हि0प्र0 के पत्र संख्या 4142, दिनांक 25.03.2011 के अन्तर्गत
32	ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषदें	पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118(4) में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.–एच.सी.–(5)सी.(15)एल.ए.डी./2006–12669, दिनांक 07–04–2016 के अन्तर्गत
33	हि0प्र0 सरकार द्वारा सौंपा गया विशेष अंकेक्षण	...

परिशिष्ट "ब"

राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों से सम्बन्धित निर्देशिका

1. मुख्यालय :–

क्रम सं0	नाम, पदनाम तथा पता	कार्यालय दूरभाष संख्या
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक	0177–2624899
2	श्री चन्द्रेश हाण्डा, अतिरिक्त निदेशक	0177–2620046
3	श्री हेम राज भारद्वाज, संयुक्त निदेशक,	0177–2620881
4	श्री राम सिंह चौहान, उप निदेशक	0177–2620881
5	श्री अनिल शर्मा, उप निदेशक	0177–2620046
6	श्री मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारी	0177–2620046
7	श्री सरवण कुमार, अनुभाग अधिकारी	0177–2620881

2. निवासी अंकेक्षण योजनाएं :–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	योजना का नाम	दूरभाष सं0
1			
1	श्री विजय कुमार वालिया, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला	0177–2830892
2	श्री जितेन्द्र सिंह, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	01892–229333 एक्स. 138
3	श्री अनिल कुमार, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0 वाई0 एस0 परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन.	01792–252171
4	श्री चन्द्रेश हाण्डा, अतिरिक्त निदेशक	निवासी अंकेक्षण योजना, सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय, मंडी	94186–40305
5	श्री हरदेव सिंह शांडिल, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, नेर चॉक, मंडी	94182–28074
6	श्री अजित सिंह, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हिमाचल प्रदेश तकनिकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर	94180–65304
7	श्री दिवान चन्द, स्हायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	01894–230354
8	श्रीमति निर्मला वर्मा, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–2	0177–2621316
9	श्रीमति पूजा शर्मा, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12.	0177–2841167
10	श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, मण्डी.	01907–265592
11	श्री राकेश चौहान, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, सोलन	01792–230459
12	श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति, कुल्लू.	01902–222208

-30

परिशिष्ट "स"

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

मुख्य कार्यालय शिमला –171009

क सं	पदनाम	पदों की संख्या	ग्रेड पे	संशोधित वेतनमान
1.	अतिरिक्त निदेशक	1	8400	15600–39100
2.	संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियंत्रक	4	7800	15600–39100
3.	उप निदेशक/उप नियंत्रक	8	6600	15600–39100
4.	सहायक निदेशक /सहायक नियंत्रक	9	5400	15600–39100
5.	अनुभाग अधिकारी	38	5000	10300–34800
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	70	3800	10300–34800
7.	लिपिक	5	1900	5910–20200
8.	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू0 प्रौ0)	2	1950	5910–20200
9.	चालक	2	2000	5910–20200
10	प्रतिलिपि यंत्र चालक	1	1900	5910–20200
11.	दफतरी	1	1900	5910–20200
12	चपरासी	6	1300	4900–10680
13	सफाई कर्मचारी	1	–	अंशकालीन
	कुल	148		